



769
22/8/15



26/8/15

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चास (बोकारो) आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक सा. से तक

जिला - बोकारो मु० सं० ।।५७ ।।११. सन् २०।।५-१६.....

केश का प्रकार - नामांतरण (दास्तिल स्थारिज)

आदेश की क्रम सं. और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित															
1	2	3															
26/5/15	<p>आवेदक श्री/श्रीमती श्रीमती रुप. ५०/-</p> <p>प्रिता/पति श्री श्री रुप. ५०/-</p> <p>ग्राम याना जिला नामांतरण</p> <p>निम्नलिखित जमीन का नामांतरण हेतु आवेदन दिये हैं। जिसका विवरण इस प्रकार है।</p> <table> <tr> <td>झौजा व शाला नं०</td> <td>उमाता</td> <td>प्लॉट</td> <td>फ्लॉट</td> <td>लगाव</td> </tr> <tr> <td>मान्यपुर ३९</td> <td>५५</td> <td>३४४</td> <td>१०</td> <td>००५</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>३४९</td> <td>वर्गमी</td> <td></td> </tr> </table>	झौजा व शाला नं०	उमाता	प्लॉट	फ्लॉट	लगाव	मान्यपुर ३९	५५	३४४	१०	००५			३४९	वर्गमी		<p>आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
झौजा व शाला नं०	उमाता	प्लॉट	फ्लॉट	लगाव													
मान्यपुर ३९	५५	३४४	१०	००५													
		३४९	वर्गमी														

आवेदन के आलोक में आम इस्तहार निर्गत करें तथा हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाच प्रतिवेदन प्राप्त करें।

अंचल अधिकारी
चास

श्रील सुदूर

आवेदन के आलोक में आम इस्तहार निर्गत किय गया। मूल आवेदन पत्र निबंधित पट्टा/विक्रय पत्र की छाया प्रति के साथ हल्का कर्मचारी को जाच हेतु दिया गया। हल्का कर्मचारी को आदेश दिया जाता है कि वे अपना विस्तृत जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से दिनांक।।०।।६।।५. तक कार्यालय

अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम ईक्टहार का तामिला प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई है। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ जाँच प्रतिवेदन के अदलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मौजा સત્તાપુર थाना नं०૩૧..... खाता नं०૫૪..... प्लॉट૮૫૪/૮૫૫..... रक्वा૬૭..... गत सर्वे खतियान में ऐयती/आबाद मालिक/गैरआबाद मालिक दर्ज है। विक्रेता खतियानी ऐयत के वंशज/उत्ताधिकारी है, विक्रेता को प्रश्नगत भूमि निर्बंधित दस्तावेज संख्या के द्वारा क्रय के आधार पर प्राप्त है।

आवेदित भूमि की जमाबंदी पंजी ॥ के जमाबंदी संख्या૫૬..... में विक्रेताપ.ન.૫૬..... के नाम से चल रही है। क्रेता ने प्रश्नगत भूमि केवला नं०૩.૧.૨..... दिनांक૧.૧.૧૨..... द्वारा क्रय किया है। विक्रेता ने अपने हक वो हिस्सा की भूमि बिक्री की है।

हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर क्रेता का खरीदगी पश्यात् दखल कर्ज है। उक्त नामांतरण से संबंधित आवेदित भूमि वन सीमा/सैरात/भूदान/भूदबन्दी/गैरआबाद/आदिवासी/बी०एस०एल० अधिश्वाहण से बाहर है। हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक ने क्रेता के नाम से नामांतरण की स्वीकृति हेतु अनुशंसा किया है।

अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर नामांतरण हेतु प्रस्तावित भूमि:-

<u>मौजा व थाना नं०</u>	<u>आता नं०</u>	<u>प्लॉट नं०</u>	<u>रक्वा</u>	<u>लगान</u>	<u>प्र० लगान</u>	<u>अलावे सेस</u>
<u>સત્તાપુર</u> ૩૧	૫૪	૩૪૪	૧૧૦	૦-૦૫	૫૦૮	
		૩૪૯	<u>૧૧૦</u>			

शैल सैं

आवेदक श्री/श्रीमतीન.૧.૧.....૫૧૫.....

पिता/पतिબ.સ.સ.સ.સ...... के नाम से नामांतरण कीસ.સ.સ...... दी जाती है। तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें। हल्का कर्मचारी को आदेश दिया जाता है कि शुद्धि-पत्र के आलोक में पंजी ॥ मे आवश्यक इन्ड्राज कर शुद्धि पत्र की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराएँ।

२६/११/१५

२६/११/१५
मिलान किया

अंचल अधिकारी
चास

Rakesh Ahuja

काम चाहाल
कामाचाल १८७१ की बारा

५० नवीन नामिनी